# एकादश बिहार विधान-सभा वाद-वृत्त

## सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 1995 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में सोमवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 1995 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री देवनारायण यादव के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
दिनांक 18 दिसम्बर, 1995 ई०

लेओबाल्टर कुजुर
प्रभारी सचिव
बिहार विधान-सभा

भाग लेने से वंचित कर दिया गया है। इस त्रुटि के फलस्वरूप दोषी पदाधिकारी श्री सदानन्द राम, प्रशाखा पदाधिकारी, को विभागीय कार्यवाही के पश्चात् दोषी पाये जाने के कारण दिनांक 2.12.95 के प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इस त्रुटि के लिए दोषी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के एक सहायक श्री ब्रह्मदेव साह की सेवा आयोग द्वारा वापस कर दी गई है तथा आरोप पत्र गठित कर निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के लिए आयोग द्वारा अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में श्री साह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है।

## रजिस्टर्ड कार्यालय को बिहार लाना

*9. **श्री हुसैन अंसारी** : क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत मधुपुर अनुमंडल स्थित ग्लास कारखानों का रजिस्टर्ड कार्यालय पं० बंगाल में होने के कारण सरकार को राजस्व का घाटा होता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त कार्यालय बिहार में लाने हेतु कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है।

डा० महावीर प्रसाद – वस्तुस्थिति यह है कि मधुपर में स्थापित पांच (5) ग्लास कारखानों में से तीन (3) का मुख्यालय मधुपुर में ही है एवं दो (2) का मुख्यालय कलकत्ता में है। जहां तक राज्य के बाहर मुख्यालय होने के कारण राजस्व का घाटा का प्रश्न है इस संबंध में वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग के परामर्श के अनुसार कंपनी का मुख्यालय राज्य के बाहर होने से राज्य को करों से होने वाले आय पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि विक्री कर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री पर लगता है तथा केन्द्रीय विक्री कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अंश राज्य को मिलता ही है। सिर्फ मुख्यालय में पदस्थापित व्यक्तियों पर आय कर के विरूद्ध राज्य सरकार को 10 प्रतिशत

राजस्व संग्रह पर राज्य की बीच विभाजन की राशि में कुछ वृद्धि हो सकती है। पर यह नगण्य होगा क्योंकि अधिक वेतन प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों की संख्या बहुत कम रहती है। वैसे राज्य सरकार का यह प्रयत्न है कि अधिक-से-अधिक उद्योगों का मुख्यालय राज्य के अन्दर ही रहे।

## प्राथमिकी दर्ज संबंधी - आदेश देना।

**11. श्री चुन्नी लाल राजवंशी :** क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-.

1. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत बनमनखी थाना से अलग करके दिनांक 24-12-79 सरसी थाना का गठन हुआ था?

2. क्या यह बात सही है कि अभी तक उक्त सरसी थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है जिससे सरसी थाना क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी होती है?

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरसी थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवश्यक आदेश देना चाहती है, नहीं तो क्यों?

**श्री लालू प्रसाद :** 1. उत्तर स्वीकारात्मक है।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है। अरक्षी मुख्यालय द्वारा सरसी को थाना का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव आयुक्त, पूर्णिया/आरक्षी महानिरीक्षक, पूर्णिया से प्रतिवेदन मांगा गया है। प्रतिवदेन प्राप्त होते ही सरकार उसे थाना के रूप में उत्क्रमित करने हेतु आदेश निर्गत करेगी।

3. प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त ही सरसी को थाना के रूप में अधिसूचित करने की कार्रवाई की जायेगी।